Part I Hons
P II

Paper II History and Archaeology (1)

मंत्रि परिषद् के गठन एवं कार्य

(1) Discuss the importance of Mantri parisad its organization and functions:

प्राचीन काल से ही मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन का मुख्य अंग माना गया है। वैदिक युग में राजा के कार्य उतने विस्तृत नहीं थे जितने कि बाद में जाकर मौर्य अथवा गुप्त काल में हो गये थे। राजा सर्व व्यापक तथा सर्व शक्ति मान नहीं हो सकता था। जो कि व्यक्तिगत रूप से सर्व शक्ति मान हो सकता है। हिन्दू राष्ट्र संगठन यह एक निश्चित नियम था कि राजा मंत्रि परिषद की स्वीकृति तथा सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। इस बारे में धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र तथा राज्य शास्त्र सम्बन्धी सभी ग्रन्थ एक मत है। इसी कारण मंत्रियों या मंत्रि परिषद की आवश्यकता पड़ी राजा को हर प्रशासन कार्य में परामर्श लेना आवश्यक हो गया। कि कोई भी कार्य बिना मंत्रियों के परामर्श के बिना न करें। बृहस्पति का विचार है कि जो नृप, मंत्री, पुरोहित आदि के मत को नहीं मानता वह दुर्योधन राजा के समान विनाश को प्राप्त होता है। शुक्र का कथन है कि मंत्रियों से परामर्श किये बिना जो नृप कार्य करता है उसका कार्य स्वीकृति बिना निष्फल होता है। एक अन्य नीति के सदृश्य विद्वान का कथन है कि जो नृप मंत्रियों परामर्श नहीं मानता वह गद्दी पर बहुत दिन तक नहीं ठहरता। चाहे उसके पिता या परदादा का राज्य क्यों न हुआ हो मनु स्मृति में उस राजा को मूर्ख बतलाया गया है जो कि मंत्रियों के बिना सलाह से कार्य करता हो क्योंकि बिना मंत्रियों के राज्य से वह न्याय पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में राजा बिना मंत्रियों के सलाह से कार्य नहीं कर सकता था।

मंत्रि परिषद में मंत्रियों की संख्या

Scanned with CamScanner

कितनी होनी चाहिए इसके सम्बन्ध में विचारकों का एक मत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है की मंत्रियों की संख्या राज्य के आकार, राज्य की आवश्यकता तथा राज्य के सम्मुख राजा पर निर्भर करता थी। परिषद की सदस्यों की संख्या कभी एक नहीं रही। उसमें सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहे। कभी मंत्रियों की संख्या बढ़ गयी तो कभी घट गयी। मनु का विचार था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सात या आठ होनी चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि मंत्रियों की संख्या आठ होनी चाहिए। मानव अर्थशास्त्र में उनकी संख्या 12 बतलायी गयी है और बृहस्पति को उद्धृत करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि मंत्रि-परिषद की संख्या 16 होनी चाहिए। आचार्य उशना के अनुसार इनकी संख्या 20 होनी चाहिए। महाभारत में 37 मंत्रियों की एक परिषद का उल्लेख मिलता है। नीति वाक्यामृत ने मंत्रियों की संख्या 3, 5, तथा 7 से अधिक नहीं बतलायी है।

इसी प्रकार मनु के अनुयायियों अनुसार मंत्रि परिषद की सदस्य की संख्या 12 होनी चाहिए। बृहस्पति के अनुयायियों के अनुसार मंत्रि परिषद की सदस्यों की संख्या 16 होनी चाहिए उशना ऋषि के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या 20 होनी चाहिए। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी वह राज्य विशेष की आवश्यकता आकार आदि पर निर्भर करती थी। क्योंकि प्राचीन में राज्य का काम इतने विस्तृत एवं व्यापक नहीं थे जितने कि मौर्य काल में हो गये थे। अतः उस मंत्रिपरिषद में 5 सदस्य पर्याप्त समझे जाते थे।

शुक्र ने मंत्रि परिषद में निम्नलिखित मंत्रियों का होना आवश्यक बतलाया है

②

पुरोहित अथवा धार्मिक कार्यों का मंत्री

② प्रतिनिधी - राजा के अनुपस्थिती में उसके नाम पर कार्य करने वाला।

③ प्रधान — मंत्रि परिषद का सभापति

④ सचिव — युद्ध मंत्री

⑤ मंत्री — गृह विभाग मंत्री

⑥ प्राड विवाक — न्याय विभाग का मंत्री तथा प्रधान न्याय धीश

⑦ पंडित — धर्म-शास्त्र का ज्ञाता मंत्री

⑧ सुमंत्र — अर्थ मंत्री

⑨ अमात्य — गृह कर तथा कृषि विभाग मंत्री

⑩ दूत — राजनीति विभाग का मंत्री

शुक्र के अनुसार राजा को सभ्य अधिकारी तथा प्रकृति के मत में स्थिर होकर रहना चाहिए। सभ्य का अर्थ है मंत्रि परिषद के सदस्य से, अधिकारी का अर्थ विविध राजकीय विभागों के अध्यक्षों से तथा प्रकृति का अर्थ उन 10 व्यक्तियों से है जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत संदर्भ में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि मंत्रियों के पद नाम समय समय पर बदलते रहे हैं मानव धर्म शास्त्र में "सचिव" शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अभिप्राय सहायक या साथी से है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मंत्री शब्द का प्रयोग केवल सर्व प्रधान मंत्री के लिए किया गया है शेष मंत्रियों को केवल अमात्य कहा जाता है। इसी प्रकार मानव धर्म शास्त्र में पुरोहित का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि पुरोहित का अधिकार ऐसे हमेशा बढ़ता गया है। जातकों तथा धर्म-सूत्रों के अनुसार। पुरोहित को धर्म और राजनीति का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। वह प्रायश्चित के विधान वाले अपराधों का निर्णय करता था।

अर्थशास्त्र के अनुसार पुरोहित की स्थिति [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] होना चाहिए। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
के [illegible] मन्त्रियों के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
किया गया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकार
मन्त्रों की [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है,

१. पुरोहित — प्राचीन भारतीय इतिहास का
अध्ययन से पुरोहित की महत्वपूर्ण स्थान के बारे में
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
में पुरोहित [illegible] [illegible] [illegible] पुरोहित की [illegible]
[illegible] में लोगों की धार्मिक क्रियाओं के [illegible]
[illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पुरोहित की
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्वीकार
नहीं [illegible]। [illegible] [illegible] भी पुरोहित की
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पुरोहित के [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ही [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है कि
[illegible] पुरोहित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] पुरोहित में [illegible] है। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], पुरोहित [illegible] है। [illegible] [illegible] पुरोहितों की
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार पुरोहित
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। कौटिल्य के अनुसार पुरोहित को उच्च
कुलोत्पन्न, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] के [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
होना चाहिए। इस प्रकार के आचार, पुरोहित के
[illegible] [illegible], [illegible] एवं [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।

...भी पुरोहित का उल्लेख (सत्याप) मंत्री के नाम से प्राप्त होता है। धीरे-धीरे पुरोहित की महत्ता में ह्रास होने लगा तथा गुप्त काल में वह मंत्रि मण्डल के सदस्य भी रहने लगा।

② **प्रतिनिधी** → उपरोक्त मंत्रियों की सूची में प्रतिनिधी का दूसरा स्थान है। यह मंत्री राजा को उसके करने और न करने के योग्य कार्यों बतलाता है। अत्यन्त आवश्यक कार्य को पुरोहित को राजा द्वारा करवाना चाहिए चाहे वह उसे प्रिय हो अथवा अप्रिय, ऐसा शुक्र का विचार है। प्रतिनिधी राजा की अनुपस्थिति में कार्य करता था। युवराज ही सम्भवतः इस पद का अधिकारी होता था। प्रतिनिधि के विषय में अग्रवाल जी का ~~महत्व है~~ मत है कि प्रतिनिधि का ठीक-ठीक स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जान पड़ता है कि उसका पद महत्व का होता था क्योंकि उसे प्रधान और मंत्री से पहले स्थान दिया है। यह निश्चित है कि यह राजा का प्रतिनिधि नहीं होता था सम्भव है वह पौर जनपद की प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिपरिषद में आकर बैठता हो अथवा राजा के पास आने-जाने के लिए यह मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधि है। इसमें संदेह नहीं की इसका पद बहुत अधिक महत्व का होता है।

③ **प्रधान** :→ शुक्र निति सार में वर्णित मंत्रियों की सूची में तीसरा स्थान प्रधान का है। यही सब कामों का देख भाल करने वाला होता था। वह सभी राज्य कार्यों पर विचार करता था। यह मंत्रि परिषद का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता था। अश्वों, गजों, रथों और पैदलों तथा सुदृढ़ संकेत जानने वाले वीरों व्यूह रचना अभ्यासीयों पूर्व-पश्चिम जानने वाले तथा सशस्त्र सेवकों की चौकियों एवं इनमें कौन काम की है और कौन नहीं और कौन नयी है और कौन पुरानी। कितनी बन्दूक सहित कितने हथियार है तथा कितने युद्धोपयोगी कितनी सामग्री है इत्यादि पंचांग को देखने और जानने की

की है। प्राचीन काल में प्रधान अथवा प्रधानमंत्री को कई नामों से संबोधित किया जाता था। इनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं — महामात्य, महाप्रधान, मंत्रीन्द्र, महामंत्री आदि।

वास्तव में मंत्री का अर्थ होता है परामर्श अथवा राय देने वाला। देश का समस्त अधिकार प्रधान मंत्री के हाथ में रहता था।

(4) सचिव — सचिव का कार्य सेना का व्यवस्था करना होता था। सेना से सम्बन्धित सभी बातें वह राजा को बताता था। सचिव का स्थान प्रधान के बाद रखा गया है। उसे मंत्रि परिषद का सैनिक सदस्य माना जाता था। सचिव का मौर्य काल में सेना पति का नाम तथा गुप्त काल में महाबलाधिकृत के नाम किया गया था। शुक्रनीतिसार के अनुसार सचिव का कार्य राज्य के सब दुर्गों में यथोचित सेना रखना एवं सेना से सभी विभागों का व्यवस्था करना है। सम्भवतः मौर्य काल में सेनापति की महत्ता काफी बढ़ गयी थी क्योंकि मंत्रियों में उसे युवराज से पूर्व स्थान प्रदान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सचिव सेना विभाग का मंत्री तथा सचिव का पद अलग-अलग होता था। इसके विपरीत कौटिल्य को मंत्री शब्द का प्रयोग मुख्य मंत्री के लिए किया है शेष मंत्रियों के लिए कौटिल्य ने अमात्य शब्द प्रयोग किया है। मंत्री की योग्यता का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने बतलाया है कि उसे स्वदेशोत्पन्न, सत्य, कुलीन, अवगुण, शुभ्र, निपुण, ललित का ज्ञाता, अर्थ शास्त्र का विद्वान, बुद्धिमान, स्मरणशक्ति सम्पन्न तथा स्वामी भक्त होना चाहिए। इन सभी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही प्रधान मंत्री के योग्य है।

(5) मंत्री → मंत्री का कार्य शुक्र नीति के अनुसार राजा को यह बताता है कि किसके साथ कब साम, दाम, दंड, का प्रयोग करना चाहिए।

और नीति में कुशल होना चाहिए। मंत्री के उत्कीर्ण लेखों में महासंधिविग्रहिक के नाम से सम्बन्धित किया गया है। शुक्र में परराष्ट्र मंत्री का नाम लिया है।

(6) प्राड् विवाक — प्राड् विवाक प्रधान न्यायाधीश होता था। न्याय विभाग इसी के अधीन होता था। इसके लिए यह आवश्यक था कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को परख सके। इसे लोक शास्त्र एवं नीति ज्ञाता होना चाहिए। यदि राजा अनुपस्थित हो तो ये ही अंतिम निर्णय देता था।

(7) पंडित → पंडित को धर्म शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। धर्म एवं सदाचार से सम्बन्धित विषय इसके हाथ में थे। यह राज्य की धार्मिक नीति का निर्धारण करता था। समाज में प्रचलित धार्मिक विचारों को देखना इसका काम था।

प्राचीन काल से प्रचलित जिन धार्मिक विचारों का महत्व न रह गया हो उनका संशोधन करना पंडित का कार्य था।

(8) कोषाध्यक्ष अथवा सुमंत्र → वैदिक युग के संग्रहिता अथवा कौटिल्य के समाहर्ता को शुक्रनीतिसार में सुमंत्र कहा गया है। वास्तव में यह अर्थ विभाग का मंत्री होता था। इसके और भी कई अर्थ संचय कर्ता, संबोधन प्राप्त होते हैं। जैसे अर्थ संचयकर्ता, भाण्डागारिक आदि। सुमंत्र का कार्य राज्य का आय व्यय बताना था। राज्य भंडार की आय व्यय तथा बचत का ब्यौरा इसी को रखना पड़ता था। कोष को राज्य का मूल माना गया है। अतः इसकी उचित देख रेख परम आवश्यक है। इसी कारण कोषाध्यक्ष का बड़ा महत्व था। शिलाहार राजा अनन्त देव के कुल तीन मंत्रियों में से एक कोषाध्यक्ष था।

9. अमात्य — सुमंत्र के बाद अमात्य का स्थान आता है। इसे माल मंत्री समझा जा सकता है। इसका कार्य राज्य में किसी की क्या संख्या है। कितनी जुती भूमि है कितने जुतने योग्य है अमुक पर्व दंड, शुल्क आदि से कितना धन आया। खानों से कितनी आय हुई।

Scanned with CamScanner

कितनी आवारिस माल प्राप्त हुआ। आदि का ब्यौरा रखना तथा राजा को सूचित करना था। अमात्य के बारे में कौटिल्य का अभिमत है कि राजा उनकी नियुक्ति विद्या, बुद्धि, तथा गुणों, दोषों का विचार करके है किन्तु उन्हें मंत्री न बनाये।

(10) दूत — राष्ट्रों के सम्बन्ध में निश्चित करने वाले कूटनीतिज्ञ मंत्री को दूत के नाम से सम्बोधित किया गया है। राष्ट्रों के साथ एवं विग्रह का निश्चय दूत ही करता था। मानव धर्म शास्त्र के अनुसार राष्ट्रों के सम्बन्ध निश्चित करने वाले कूटनीतिज्ञ मंत्री को दूत कहा गया है। रामायण तथा शुक्र नीति में दूत शब्द का प्रयोग किया उपरोक्त अर्थ को दर्शाने के लिए कहा गया। कालान्तर में दूत शब्द के स्थान पर संधि विग्रहिक शब्द का प्रयोग मिलता है। इस पद का महत्त्व मौर्यकाल में अत्यधिक था, दूत के लिए शुक्र ने बताया है कि उसे संकेत एवं चेष्टा का जानकार, अच्छी स्मृति वाला, वक्ता तथा निडर होना चाहिए।

The end